



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा  
क्षेत्रीय केन्द्र, जोधपुर



क्रमांक: एफ13/व.म.खु.वि.वि/क्षे. के. जो./2026/126

दिनांक :- 22/4/26

—:अति—महत्वपूर्ण सूचनार्थ:—

## उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी महत्वपूर्ण परिपत्र

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 के आवेदन पत्रों पर लगे आक्षेपों की पूर्ति अतिशीघ्र करने के संबंध में

कार्यालय, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर के पत्र क्रमांक **(RajKaj Ref No.: 21715390)** दिनांक 21.04.2026 के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सत्र 2024–25 में जिन विद्यार्थियों के ऑनलाइन पोर्टल पर आक्षेप लगाए गए हैं वह अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से उक्त आक्षेप देखकर दिनांक 23.04.2026 तक दूर/निस्तारण कर लेवें अन्यथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आपके छात्रवृत्ति आवेदन को स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी स्वयं की होगी। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पूर्व पत्रांक क्रमांक 2069–74 दिनांक 17.12.2025 के द्वारा भी आपको सूचित किया जा चुका है।

  
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:—

1. सचिव, कुलगुरु सचिवालय, वमखुविवि कोटा।
2. कुलसचिव, वमखुविवि कोटा।
3. निदेशक, क्षेत्रीय सेवाए प्रभाग, वमखुविवि कोटा।
4. संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर
5. प्रभारी/अधिकारी ईएमपीसी विभाग, वमखुविवि कोटा को पत्र भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
6. समस्त अध्ययन केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना-पट्ट पर चस्पा करें।

  
सहायक कुलसचिव